05/18 सतारम वs दुर्गाराम वगैरा

...ख ...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.कमठाई में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु.। मूलावाद में विप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। जो आवेदन में भी एकरतफा कार्यवाही पारित की जाती है। हस्तगत प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 विवादित भूमि के रिकाडर्ड सहखातेदार है और रिकाडर्ड खातेदारान के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। क्योकि जब तक विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो जाता है,तब तक प्रत्येक खातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध है,जिससे साबित होता है,कि प्रार्थी विवादित भूमि मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार हो। लिहाजा प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.)सिणधरी	

Scanned by CamScanner